

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री विजेन्द्र गुप्ता.

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारंकित प्रश्न संख्या : 302

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	इस समय दिल्ली में कितनी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं;	शहरी विकास (अनधिकृत कॉलोनी) संशोधित दिशानिर्देश 2007 के अनुसार शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार को वर्ष 2007-2008 में 1797 आवेदन प्राप्त हुए थे और वर्ष 2013 में 244 विसतारित लाल डोरा आवेदन प्राप्त हुए थे । लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं इसका ब्योरा उपलब्ध नहीं है ।
ख	सरकार ने अपने तीन वर्ष में कितनी अनधिकृत कॉलोनियां नियमित की हैं;	शहरी विकास (अनधिकृत कॉलोनी) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 01/01/2015 के द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों के अस्तित्व में आने के तिथि 31/03/2002 से 01/06/2014 और अनधिकृत कालोनियों में पचास प्रतिशत को अनिवार्यता की तिथि 02/02/2007 से 01/01/2015 कर दी। दिल्ली सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के विनियमन दिनांक 24/03/2008 और संशोधित दिशा निर्देश 2007 को बदलने/संशोधित करने का प्रस्ताव शहरी विकास और आवास मंत्रालय, भारत सरकार में लम्बित है। उक्त मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से सभी अनधिकृत कालोनियों की विस्तृत जानकारी मांगी है। जिसे राजस्व विभाग से जुटाया जा रहा है। अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के संशोधित विनियमन जारी होने के बाद ही शुरू की जाएगी।
ग	इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार की क्या योजना है;	शहरी विकास (अनधिकृत कॉलोनी) उपरोक्तानुसार
घ	क्या 2020 तक सभी अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी;	शहरी विकास (अनधिकृत कॉलोनी) उपरोक्तानुसार समय सीमा बताना इस समय उचित नहीं है।
च	क्या यह सत्य है कि सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का वायदा किया था?	शहरी विकास (अनधिकृत कॉलोनी) शहरी विकास विभाग के रिकार्ड के अनुसार इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
छ	क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने जल्द ही इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का ऐलान किया था,	शहरी विकास (अनधिकृत कॉलोनी) शहरी विकास विभाग के रिकार्ड के अनुसार इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
ज	यदि हाँ, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?	शहरी विकास (अनधिकृत कॉलोनी) उपरोक्तानुसार


R. S. Parmar
 Dy. Secy. (Urban Development)
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Secretariat